

राजस्थान सरकार
उद्यान निदेशालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक: प.1()निउ/PMKSY-MI/Reg./2019-20/764-942 दिनांक: 23.05.2019

मैसर्स समस्त
ड्रिप एवं फव्वारा संयंत्र निर्माता
(उद्यान विभाग द्वारा पंजीकृत)


विषय:- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई योजना की प्रगति/
क्रियान्वयन में सुझाव हेतु विभाग द्वारा आयोजित बैठक में भाग लेने बाबत।

विभाग द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत पंजीकृत
ड्रिप एवं फव्वारा संयंत्र निर्माता फर्मों के अधिकृत प्रतिनिधियों की एक बैठक निदेशक उद्यानिकी
की अध्यक्षता में दिनांक 31.05.2019 (शुक्रवार) को प्रातः 11.00 बजे कान्फ्रेन्स हॉल, प्रथम मंजिल,
पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर में आयोजित की जा रही हैं। बैठक का एजेण्डा निम्नानुसार है-

1. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान क्रियान्वित सूक्ष्म सिंचाई योजना की प्रगति की समीक्षा।
2. आगामी वित्तीय वर्ष 2019-20 के सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रम प्रभावी क्रियान्वयन हेतु फीडबैक तथा सुझाव।
3. अन्य बिन्दू श्रीमान् निदेशक उद्यानिकी की अनुमति से।


कृपया दिनांक 31.05.2019 (शुक्रवार) को प्रातः 11.00 बजे बैठक में नियत समय पर
उपस्थित होकर अपने सुझावों से अवगत करावें।

संलग्न- सुझाव प्रपत्र।


निदेशक उद्यानिकी
उद्यान निदेशालय, जयपुर

क्रमांक: प.1()निउ/PMKSY-MI/Reg./2019-20/764-942 दिनांक: 23.05.2019
प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. निजी सचिव, निदेशक उद्यानिकी, उद्यान निदेशालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक उद्यान, उद्यान निदेशालय, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक उद्यान (मु0)/नर्सरी/सी.एस.एस./कीट/सी.ओ.ई./अनुसंधान, उद्यान
निदेशालय, जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, उद्यान निदेशालय, जयपुर।
5. उप निदेशक उद्यान (विस्तार)/सांख्यिकी/मुख्यालय/नर्सरी, उद्यान निदेशालय जयपुर।
6. केयर टेकर, कृषि आयुक्तालय को भेजकर लेख है कि दिनांक 31.05.2019 (शुक्रवार) को प्रातः
11.00 बजे कान्फ्रेन्स हॉल को उपलब्ध करावें।


संयुक्त निदेशक उद्यान (विस्तार)
उद्यान निदेशालय, जयपुर

Suggestion / Feed back

S. No.	Field of Suggestion	Suggestion / Feed back
1.	Executing Guidelines	
2.	Empanelment	
3.	Quality Issue	
4.	Technical Issues & Technical Staff	
5.	After Sales Services	
6	Others	

योजना के दिशा-निर्देशों हेतु सुझाव

क्र.सं.	गतिविधि	सुझाव
1	ऑन लाईन आवेदन एव अवधि	
2	आवश्यक दस्तावेज	
3	पात्रता	
4	कृषक चयन/निरस्तीकरण	
5	प्रशासनिक स्वीकृति	
6	कृषक हिस्सा राशि	
7	संयंत्र स्थापना	
8	भौतिक सत्यापन (विभाग द्वारा)	
9	भौतिक सत्यापन (थर्ड पार्टी)	
10	त्रि-पार्टी अनुबन्ध	
11	बिल/इनवॉइस	
12	वित्तीय स्वीकृति एवं भुगतान	
13	निर्माता पंजीकरण/दायित्व (यथा मापदण्डानुसार आपूर्ति, भौतिक सत्यापन पूर्व संयंत्र के अवयवों एव स्थापना की चैक लिस्ट, प्रशिक्षण, सेवा)	
14	अधिकृत डीलर/दायित्व	
15	विक्रय पश्चात सेवा	
16	संयंत्र गुणवत्ता	
17	तकनीकी मापदण्ड	
18	प्रशिक्षण/तकनीकी हस्तान्तरण	
19	प्रगति की ऑन लाईन मोनिटरिंग	
20	कार्य योजना/भौतिक-वित्तीय लक्ष्य एवं बजट आवंटन	
21	सूक्ष्म सिंचाई पद्धति में नवाचार	
22	योजना का सुगम संचालन	
23	अन्य (सुझाव/अनुभव/	